रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 6, 1997/वैशाख 16, 1919
No. 285] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 6, 1997/VAISAKHA 16, 1919

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 1997

का. आ. 366 (अ).—जीवजन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 5 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा जीवजन्तु कल्याण बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम सदस्यों के रूप में अधिसूचित करती है और इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय के दिनांक 18 मार्च, 1995 की का. आ. 207(अ) की अधिसूचना में आगे संशोधन करती है, अर्थात् :—

उपरोक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 18 तथा 19 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

18.	श्री नागमनी, संसद सदस्य, राज्य सभा 28, मीना बाग, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011	धारा 5 (1)(झ) के अन्तर्गत सदस्य।
19.	श्री ब्रह्मकुमार भट्ट, संसद सदस्य, राज्य सभा गुजरात भवन, कौटिल्या मार्ग, नई दिल्ली।	धारा 5 (1)(झ) के अन्तर्गत सदस्य।

[मि. सं. 1-10/94-ए. डब्ल्यू.]

सर्वेश्वर झा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—भारतीय जीवजन्तु कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन से संबंधित प्रधान अधिसूचना का. आ. 207(अ), दिनांक 18 मार्च, 1995 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् इसमें का. आ. 2369, दिनांक 2 सितम्बर, 1995 तथा का. आ. 757(अ), दिनांक 1 नवम्बर, 1996 के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 1997

S. O. 366 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 5A of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby notifies the names of the following persons as the members of the Animal Welfare Board of India and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, vide S.O. 207(E) dated the 18th March, 1995, namely :—

In the said notification, for serial numbers 18 and 19 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall respectively be substituted namely :—

18.	Shri Nagmani, Member of Parliament, Rajya Sabha 28, Meena Bagh, Maulana Azad Road, New Delhi-110011	Member under section 5(1) (i)
19.	Shri Brahma Kumar Bhatt, Member of Parliament, Rajya Sabha Gujarat Bhawan, Kautilya Marg, New Delhi.	Member under section 5(1) (i)

[F. No. 1-10/94-AW]

SARWESHWAR JHA, Jt. Secy.

Note :—The notification reconstituting the Animal Welfare Board of India was published in the Gazette of India vide S.O. 207(E) dated the 18th March, 1995 and subsequently amended vide, S.O. 2369 dated the 2nd September, 1995 and S.O. 757(E) dated the 1st November, 1996.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997